न्यूज लेटर

सेतु

unicef
unite for children

SPUP
Knowledge Is Power

Center for Child protection

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन
द्वारा बाल संरक्षण को समर्पित

अगस्त 2016 ★ अंक: 4

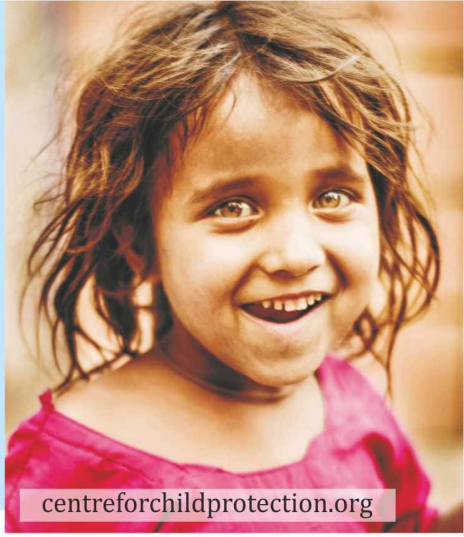

निदेशक की कलम से

एक तरफ रीयो ओलम्पिक में भारत की बेटियाँ पी.वी.सिंन्धु व साक्षी मलिक ने पूरे विश्व में भारत के सम्मान को बढ़ाया, परन्तु दूसरी ओर का कड़वा सच राज्यों में घटता हुआ शिशु लिंगानुपात (0-6 वर्ष) भी है। राजस्थान में 2001 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात 909 से घटकर जनगणना 2011 में केवल 888 (शिशु लिंगानुपात) रह गया है। इसके लिए सबसे बड़ा कारण है कन्या भ्रूण हत्या। वर्तमान समाज में इस समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ प्रसव से पूर्व तकनीकी जाँच अधिनियम को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। जीवन बचाने वाली आधुनिक प्रौद्योगिकी का दुरूपयोग रोकने का हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस त्रैमासिक पत्रिका सेतु द्वारा PCPNDT Act एवं मुखबिर योजना आदि की जानकारी प्रकाशित की जा रही है, जिससे कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे घृणित अपराध को रोकने में मदद मिल सके एवं कन्या भ्रूण हत्या के अपराधियों को सजा दिलायी जा सके।

उपरोक्त मुद्दे और अन्य बाल संरक्षण सम्बन्धी मुद्दों पर व्यापक समझ बनाना आज हमारे समाज की प्रमुख जरूरतों में से एक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने बाल संरक्षण में एक छः मासिक सर्टिफिकेट कोर्स की भी शुरूआत की है। सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित छः मासिक सर्टिफिकेट कोर्स को करने से बाल संरक्षण से सम्बन्धित मुद्दो पर जागरूकता बढ़ेगी एवं बाल संरक्षण के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों का क्षमतावर्धन होगा। बाल संरक्षण का कार्य एवं इस विषय पर समझ बनाना एक जटिल और निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। बाल संरक्षण को समझने के लिए हमें बहु-अनुशासनिक दृष्टिकोण एवं अन्तर-विभागीय सम्पर्क स्थापित करने होंगे। बाल संरक्षण के विषय पर कुशल और प्रशिक्षित जानकारों के अभाव के कारण बच्चों के अस्तित्व को अधिकारों के दृष्टिकोण से समाज में नहीं देखा जाता है। इसी कारण से बच्चों के अधिकारों के इर्द-गिर्द होने वाले संवादों को भी सदैव समाज में तात्कालिक समर्थन नहीं मिल पाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस विश्वविद्यालय ने बाल संरक्षण पर सर्टिफिकेट कोर्स की शुरूआत की है। यह कोर्स राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में बाल संरक्षण के क्षेत्र में सुनियोजित ढंग से चलाया जाने वाला एक मात्र सर्टिफिकेट कोर्स है। बाल संरक्षण में छः मासिक सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से विभिन्न स्केटहोल्डर्स जैसे स्पेशल जुविनाइल पुलिस यूनिट (SJPU), एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), बाल कल्याण समिति (CWC) एवं किशोर न्याय बोर्ड (JJB) आदि में बाल संरक्षण की समझ को बढ़ाना है ताकि उन्हें परस्पर अपने दायित्वों का भान हो तथा वे आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए बाल संरक्षण के क्षेत्र में अपने कर्त्तव्यों का भली भाँति निष्पादन कर सकें।

धन्यवाद...

डॉ. भूपेन्द्र सिंह (आई.पी.एस.)
निदेशक : सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन,
सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय

सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन
सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय
विशेषांक : लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994 **(PCPNDT)**

क्या आपके पास 5 मिनट हैं?

गर्भ की वह मासूम बच्ची अभी दस सप्ताह की थी। वह काफी चुस्त थी। हम उसे अपनी माँ की कोख में खिलते, करवट बदलते व अंगूठा चूसते हुए देख रहे थे। उसके दिल की धड़कनों को हम देख पा रहे थे और उस समय 120 की साधारण गति से धड़क रही थी। सब कुछ सामान्य था, किन्तु जैसे पहले औजार (सक्शन पंप) ने गर्भाशय की दीवार को छुआ तो वह मासूम बच्ची डर से एकदम घूमकर सिकुड़ गई और उसके दिल की धड़कन काफी बढ़ गई, हालांकि अभी तक किसी औजार ने बच्ची को छुआ तक भी नहीं था लेकिन उसे अनुभव हो गया था कि कोई चीज़ उसके आरामगाह उसके सुरक्षित क्षेत्र पर हमला करने का प्रयत्न कर रही है।

हम दहशत से भरे यह देख रहे थे कि किस तरह वह औजार उस नन्हीं मुन्हीं मासूम गुड़िया सी बच्ची के टुकड़े - टुकड़े कर रहा था। पहले कमर (स्पाइन) फिर पैर इत्यादि ऐसे काटे जा रहे थे जैसे कोई जीवित प्राणी ना होकर वह कोई गाजर मूली हो और वह बच्ची दर्द व पीड़ा से छटपटाती हुई सिकुड़ सिकुड़कर घूम घूमकर तड़पती हुई इस हत्यारे औजार से बचने का प्रयास कर रही थी। वह इतनी बुरी तरह से डर गई थी कि एक समय उसके दिल की धड़कन 200 तक पहुँच गई। मैंने स्वयं अपनी आँखों से उसको अपना सिर पीछे झटकते व मूँह खोलकर चीखने का प्रयत्न करते हुए जिसे मूक चीख या मूक पुकार कहा जा सकता है, स्वयं देखा। अन्त में हमने वह नृशंस और विभत्स दृश्य भी देखा जब सडसी (फोरसेप्स) उसकी खोपड़ी को तोड़ने के लिए तलाश रहा था, फिर दबाकर उस कठोर खोपड़ी को तोड़ रहा था, क्यों कि सिर का वह भाग बगैर तोड़े सक्सन ट्यूब के माध्यम से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। हत्या के इस विभत्स खेल को सम्पन्न होने में 15 मिनट का समय लगा और इस दर्दनाक दृश्य का अनुमान इससे अधिक और कैसे लगाया ज सकता है कि जिस डॉ. ने यह अर्बोशन (गर्भपात किया था) और जिसने मात्र कौतुहल वश इसकी फिल्म बनवा ली थी उसने जब स्वयं इस फिल्म को देखा तो वह अपना अस्पताल (क्लीनिक) छोड़कर चला गया और फिर वापिस नहीं आया।

Source : http://www.rajswasthya.nic.in

राज्य में लुप्त होती बेटियाँ (मानचित्र)

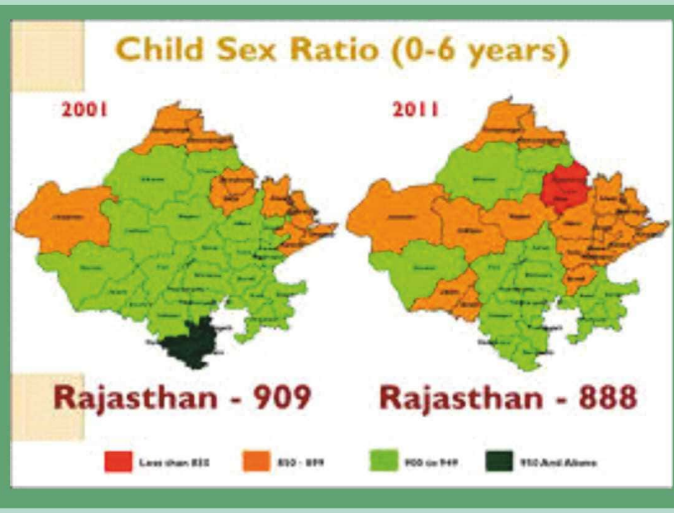

Source : http://www.rajswasthya.nic.in

सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी द्वारा जेंडर स्टडीज में सर्टिफिकेट कोर्स की शुरूआत -

सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सोशल डिफेन्स एण्ड जेंडर स्टडीज द्वारा यह सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट **www.policeuniversity.ac.in** पर प्राप्त की जा सकती है।

श्रीमती आनन्दी (आईएएस) सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार नियुक्त -

श्रीमती आनन्दी 2006 बैच की आईएएस हैं। इससे पहले श्रीमती आनन्दी सवाई- माधोपुर में कलैक्टर के पद पर कार्यरत थी।

मुखबिर योजना

राज्य में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुखबिर योजना प्रारम्भ की गयी है। चिकित्सक को तकनीक के दुरूपयोग करने से रोकने के लिए जनता को अभिप्रेरित करना आवश्यक है तथा ऐसी सूचना को प्रदान करने के लिए जनता को अभिप्रेरित करना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें जन सहयोग की आवश्यकता है। इस योजना के द्वारा लिंग परीक्षण के दोषी व्यक्तियों तक विभाग की पहुँच को सुनिश्चित करते हुए उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सकता है। समाज में यह संदेश दिया जा सकता है कि लिंग परीक्षण करने/कराने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध जनसूचना के आधार पर उन्हें दण्डित करवाया जा सकता है। इसके लिए भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले व्यक्ति/ चिकित्सक की सूचना विभाग को देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखते हुए उसको विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

योजना के लाभ – यदि लोग इस योजना के द्वारा चिकित्सकों को भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त पाये जाने पर कानून के दायरे में लाने के लिए मदद करते हैं तो उन चिकित्सकों में भय का वातावरण पैदा होगा जो तकनीक के दुरूपयोग से बेटी के जन्म को रोक रहे हैं।

कार्य नीति – मुखबिर द्वारा दी गयी भ्रूण लिंग परीक्षण किये जाने की सूचना के आधार पर समुचित प्राधिकारी/ प्राधिकृत अधिकारी, समुचित प्राधिकारी द्वारा सूचना का सत्यापन किया जायेगा। सूचना के सत्यापन में बोगस ग्राहक (गर्भवती महिला) की उपलब्धता के आधार पर डिकोय कार्यवाही सम्पादित की जायेगी, जिसमें मुखबिर द्वारा दी गई सूचना एवं सहयोग से चिकित्सक का नाम तथा गर्भवती महिला के भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जाना साबित होने पर मुखबिर पुरूस्कार की प्रथम किश्त का हकदार होगा।

मुखबिर योजना हेतु विभाग द्वारा निर्धारित पुरस्कार –

1. सफल डिकोय ऑपरेशन करवाने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दो लाख रूपये स्वीकृत की जायेगी।
2. प्रोत्साहन राशि दो लाख में से 40 प्रतिशत गर्भवती महिला एवं 20% गर्भवती महिला के सहयोगी को निम्न तीन किश्तों में दी जायेगी। –

क्र.म. संख्या	कुछ प्रोत्साहन राशि (दो लाख रूपये मात्र)	मुखबिर 40% (अस्सी हजार)	गर्भवती महिला 40% (अस्सी हजार)	गर्भवती महिला सहयोगी 20% (चालीस हजार)
1.	प्रथम किस्तः- डिकोय ऑपरेशन के तुरंत बाद	26,600/-	26,600/-	13,300/-
2.	द्वितीय किस्तः- न्यायलय में बयान के दौरान dicoy ऑपरेशन की स्पष्ट पुष्टि करने के बाद	26,600/-	26,600/-	13,300/-
3.	तृतीय किस्तः- न्यायलय के निर्णय के बाद	26,800/-	26,800/-	13,400/-
	कुल	80,000/-	80,000/-	40,000/-

मुखबिर योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना –

राज्य स्तर पर –

1. अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी।
2. राज्य नोड़ल अधिकारी पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) एवं निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप निदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
4. प्राधिकृत अधिकारी, राज्य समुचित प्राधिकारी।

जिला स्तर पर –

1. जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला कलक्टर।
2. जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

उपखण्ड स्तर पर –

1. उपखण्ड समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी मुखबिर बनने की सूचना 104 टोल फ्री सेवा पर भी दी जा सकती है।

Source : http://www.rajswasthya.nic.in

साक्षात्कार:-

श्री नवीन जैन

(आईएएस) मिशन निदेशक (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

पिछले कुछ समय से स्टेट पीसीपीएनडीटी सैल सफल स्टेट डिकॉय ऑपरेशन करके सुर्खियों में है इनकी प्रभावी सक्रियता से शिशु लिंगानुपात में सुधार हो रहा है एवं दोषियों को सजा मिल रही है। पीसीपीएनडीटी सैल ने हाल ही में राज्य के बाहर पांचवा सफल डिकॉय ऑपरेशन किया है। परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) रघुवीर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम में आनन्द हॉस्पिटल मेहसाणा (गुजरात) में दबिश देकर डॉ. जयन्ती लाल पटेल व दलाल नीरव पटेल को 20 हजार रूपये के साथ अवैध लिंग परीक्षण करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रदेश में अब तक 40 डिकॉय ऑपरेशन हो चुके हैं। राज्य के बाहर गुजरात में किया जाने वाला डिकॉय ऑपरेशन 5 वां है। इसमें पहले हरियाणा में 20 मई, आगरा में 16 जून एवं गुजरात में 19 जुलाई को डिकॉय ऑपरेशन करके भ्रूण लिंग जाँच में लिप्त लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पीसीपीएनडीटी सैल की सफलता के पीछे टीम की मेहनत के साथ कुशल नेतृत्व मिशन निदेशक श्री नवीन जैन का बहुत बड़ा योगदान है, जिनसे सेतु सम्पादकीय टीम ने भेंट की, जिसके कुछ अंश निम्न है -

पीसीपीएनडीटी अधिनियम क्या है?

नवीन जैन - पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टैकनीक 'पीएनडीटी' एक्ट, 1996 के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जाँच पर पाबन्दी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को सजा का प्रावधान है।

पीसीपीएनडीटी सैल की सक्रियाओं से शिशु लिंगानुपात में कोई सुधार?

नवीन जैन - पीसीपीएनडीटी सैल की सक्रियाओं से शिशु लिंगानुपात में प्रभावी सुधार पाया गया है। राजस्थान सरकार के प्रैगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (PCTS) के आधार पर प्रगति के पथ पर राजस्थान लगातार बढ़ रहा है। आँकड़ों के आधार पर 1000 बेटों पर 929 बेटियों का जन्म हुआ है। (PCTS DATE 2015-2016)

IPC की धारा 315 क्या है?

नवीन जैन - धारा 315 के अनुसार माँ के जीवन रक्षा के प्रयास को छोड़कर अगर कोई बच्चे के जन्म से पहले ऐसा काम करता है जिससे जीवित बच्चे के जन्म को रोका जा सके या पैदा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाये, उसे दस साल की कैद होगी।

धारा 315 के तहत गिरफ्तारी से प्रभाव?

नवीन जैन -

1. सैशन ट्रायल केस होने के कारण अमुमन मजिस्ट्रेट न्यायालय (पीसीपीएनडीटी कोर्ट) जमानत नहीं देते हैं। इस धारा में 10 वर्ष तक के कारावास (जेल) का प्रावधान है।
2. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार 7 वर्ष तक के कारावास में पुलिस के द्वारा बिना नोटिस के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

डिकॉय ऑपरेशन में आने वाली समस्याऐं?

नवीन जैन -

1. गर्भवती महिला की व्यवस्था एवं सुरक्षा।
2. सीमित संसाधन, स्थान एवं समय की अनिश्चितता।
3. मानव संसाधन का अभाव।
4. स्थानीय प्रशासन से सम्बन्ध में परेशानी एवं बाहरी राज्यों में रास्ता पता नहीं होना और स्थानीय प्रशासन को समझाने में परेशानी।

पीसीपीएनडीटी एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पुलिस विभाग का योगदान?

नवीन जैन - बिना वॉरन्ट गिरफ्तार अधिकारी CRPC की धारा 41 में पुलिस अधिकारी को दिये गये हैं इस कारण अभियुक्तों को तुरन्त गिरफ्तार कर कारावास के पीछे पहुँचाया जाता है। इसमें अपराधियों में डर की प्रबल भावना पैदा हई है। सम्पूर्ण देश में पुलिस थाने व एस.पी ऑफिस है अतः क्राईम ब्राँच, पुलिस स्टेशन, एस.ओ.जी, एस.टी.एफ की अन्य राज्यों में भी तुरन्त मदद मिल जाती है। अनुसंधान में पुलिस अधिकारी निपुण होते हैं। अतः दर्जसीजर, गिरफ्तारी, अनुसंधान सही तरीके से करवा पाते हैं। इससे दोषी आसानी से न्यायालय से नहीं छूटते हैं। हाई कोर्ट तक से जमानत नहीं होती। जबकि अन्य राज्यों में सिंफ परिवाद पेश किया जाता है, अभियुक्त को गिरफ्तार भी नहीं किया जाता।

सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के जयपुर कैम्पस ने हर्षो उल्लास से मनाया स्वतन्त्रता दिवस -

स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन के प्रांगण में कुलपति महोदय डॉ. भूपेन्द्र सिंह (आईपीएस) ने तिरंगा फहराया एवं पौधारोपण किया। कुलपति महोदय ने उपस्थित अतिथियों व यूनिवर्सिटी परिवार के सदस्यों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने व बाल सुरक्षा को लेकर पुलिस के बढ़ते योगदान के सन्दर्भ में विचार व्यक्त किये।

बोर्ड ऑफ स्टडीज (BOS) की बैठक -

बाल संरक्षण पर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज (BOS) की दूसरी बैठक 26 अप्रैल 2016 को 11:00 बजे से 2:00 बजे तक जयपुर स्थित सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन के कार्यालय में पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को अन्तिम रूप देने के लिए सम्पन्न हुई। इस बैठक में प्रो. राजीव गुप्ता (सेवानिवृत्त, राजस्थान विश्वविद्यालय) प्रो. मंजू सिंह बनस्थली विद्यापीठ, प्रो. निशा यादव आई.सी.जी, जयपुर, डॉ. संजय कुमार निराला, यूनिसेफ, श्री गोविन्द बेनीवाल, अन्ताक्षरी फाउण्डेशन, श्रद्धा पाण्डे, समन्वयक, सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, प्रवीण सिंह, कार्यक्रम प्रबन्धक - अकादमिक एवं पाठ्यक्रम विकास, पारूल बक्शी, ऑफिस असिस्टैन्ट सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने भाग लिया। सभी बोर्ड ऑफ स्टडीज (BOS) के सदस्यों ने बाल संरक्षण सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम को दूरस्थ मोड में शुरू किये जाने पर भी अपनी राय व्यक्त की एवं सदस्यों ने सर्वसम्मति से बाल संरक्षण सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम आरम्भ करने की

बाल संरक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स पर विचार-विमर्श:-

बाल संरक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए तय किए गए पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को अंतिम रूप देने के लिए दो दिवसीय विचार-विमर्श बैठक 26-27 जुलाई 2016 को सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन के जयपुर कार्यालय में सम्पन्न हुई। इस विचार-विमर्श बैठक में बाल कल्याण समिति अलवर की चेयरपर्सन श्रीमती निर्मला शर्मा, बाल कल्याण समिति जयपुर के चेयरमेन राम प्रकाश बैरवा, किशोर न्याय बोर्ड जयपुर से डॉ. चंचल पाल, प्रो. मंजू सिंह बनस्थली विद्यापीठ, डॉ. विजेन्द्र सिद्धू, डॉ; ज्योत्सना राजवंशी, सीनियर रिसर्च स्कॉलर, IDS श्रद्धा पाण्डे, समन्वयक, सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, प्रवीण सिंह, कार्यक्रम प्रबन्धक - अकादमिक एवं पाठ्यक्रम विकास में भाग लिया।

ब्रिक्स सम्मेलन –

ब्रिक्स पाँच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जहाँ विश्वभर की 43 प्रतिशत आबादी रहती है, यहाँ विश्व का सफल घरेलू उत्पाद 30 प्रतिशत है और विश्व व्यापार में इसकी 17 प्रतिशत भागीदारी है।

अदिवर्णिक शब्द ब्रिक्स का पहली बार प्रयोग वर्ष 2001 में गोल्डमैन साक्स ने अपने वैश्विक आर्थिक पत्र 'द वर्ल्ड नीड्स बैटर इकॉनोमिक ब्रिक्स' में किया था, जिसमें इकॉनोमीट्रिक विश्लेषण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि आने वाले समय में ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन की अर्थव्यवस्थाओं का व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से विश्व के आर्थिक क्षेत्रों पर नियन्त्रण होगा और अगले 50 वर्षों में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से होंगी।

एक औपचारिक समूह के रूप में सेंट पीटरबर्ग में जुलाई 2006 में जी-8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के अवसर पर रूस, भारत तथा चीन के नेताओं की बैठक के पश्चात ब्रिक का प्रारम्भ किया गया था। न्यूयॉर्क में सितम्बर 2006 में संयुक्त राष्ट्र महा सभा के अवसर पर ब्रिकसमूह के विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक के दौरान ब्रिक को औपचारिक रूप प्रदान किया गया। ब्रिक के प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के येकातेरिनबर्ग शहर में 16 जून 2009 को किया गया।

सितम्बर 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक दक्षिण अफ्रीका को शामिल करके ब्रिक में विस्तार करने पर सहमति बनी थी। तद्नुसार, दक्षिण अफ्रीका 14 अप्रैल 2011 को सान्या चीन में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ।

अब तक सात ब्रिक्स सम्मेलन हो चुके हैं। भारत वर्ष 2016 में अपनी अध्यक्षता में 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा ।परस्पर हित के आर्थिक मुद्दों से प्रारम्भ करते हुए ब्रिक्स बैठकों के एजेंडे का दायरा वर्ष -दर-वर्ष बढ़ा है, जिसमें विषयगत वैश्विक मुद्दे शामिल हुए हैं। ब्रिक्स सहयोग के दो स्तम्भ हैं - नेताओं और साथ ही वित्त, व्यापार, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि संचार, श्रम आदि के मंत्रियों की बैठकों के माध्यम से परस्पर हित के मुद्दों पर विचार - विमर्श और कार्य समूहों/वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों के माध्यम से कई क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग। नियमित वार्षिक शिखर सम्मेलन तथा जी-20 शिखर सम्मेलनों के अवसर पर नेताओं की बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसी तरह की एक बैठक का आयोजन विदेश मंत्रालय, आब्जर्वर रिसर्च फाउण्डेशन तथा सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी की ओर से मिलकर ब्रिक्स स्मार्ट सिटी कांफ्रेंस के रूप में किया गया जिससे राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे व ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. भूपेन्द्र सिंह (आईपीएस) ने कार्यक्रम में शामिल होने के साथ-साथ आभार ज्ञापन भी दिया।

राजस्थान में गरीब व जरूरतमन्द बच्चों के लिए टॉय बैंक –

राजस्थान में गरीब व जरूरतमन्द बच्चों के लिए सरकार ने टॉय बैंक खोलने की योजना बनाई है। अजमेर और नागौर जिले से इस बैंक की शुरूआत भी हो चुकी है। अजमेर का टॉय बैंक इस तरह का राज्य का पहला बैंक है। टॉय बैंक अजमेर के डी.एम गौरव गोयल की अनूठी पहल का नतीजा है। इस योजना में जिला प्रशासन खिलौना उपहार में देने वालों से लेकर उन्हें जरूरतमन्द बच्चे, आँगनवाड़ी केन्द्रों और प्राइमरी स्कूलों में बाँटेगा। अजमेर के इस टॉय बैंक का शुभारम्भ मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी तरह से कपड़ों व किताबों के लिए भी बैंक खुलने चाहिये। राजे ने कहा कि इन बैंकों को एजूकेशनल टॉय के डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देना चाहिए ताकि छात्र साथ-साथ खेल और पढ़ सकें। उन्होंने स्वयं अजमेर की टॉय बैंक को 101 खिलौने दान किए। खिलौनों को 1964 आंगनबाड़ी केन्द्रों, विद्यालयों, शिशुगृहों पर आने वाले निर्धन बच्चों को खेलने के लिए वितरित किया जा सकेगा। इस टॉय बैंक में कोई भी खिलौने डोनेट कर सकता है और उन पर मोबाईल एप्लिकेशन के माध्यम से नजर भी रख सकता है कि वे किसे दिये गये हैं।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) –

कानूनी सहायता न्याय प्रशासन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ''न्याय की पहुँच सभी के लिए'' (Access to Justice for all) प्राधिकरण का आदर्श वाक्य है। इसका लक्ष्य समाज से कमजोर वर्गों विशेष रूप से गरीब, दलित, सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं, बच्चों, विकलांगों आदि के लिए न्याय सुरक्षित करना है। कोई महज धन के अभाव में जानकारी की कमी से न्याय के अवसर से वंचित ना रहे। इन सबको सुरक्षित करने के लिए प्राधिकरण राजस्थान के विभिन्न भागों में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर को आयोजित करता है। इसी क्रम में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राजस्थान स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी, जोधपुर के सभागार में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं यूनिसेफ़ के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के विभिन्न स्केटहोल्डर्स के लिए दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में यूनिसेफ के प्रतिनिधि डॉ. अनिल अग्रवाल, डॉ. संजय कुमार निराला, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश अजय रस्तोगी, वरिष्ठ न्यायाधीश गोविन्द माथुर, जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस एम. एन भण्डारी, जस्टिस संगीता लोढ़ा, जस्टिस के.एस. अहलुवालिया, जस्टिस अरूण भंसाली, जस्टिस अरूण भंसाली, जस्टिस विजय बिश्नोई, एवं जस्टिस जयश्री ठाकुर सहित कई न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य व एन.जी.ओ के सदस्य मौजूद रहे।

कार्यशाला...

विधि से संघर्षरत बच्चे शिक्षित हों

किशोर न्याय व्यवस्था पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते अतिथि।

किशोर न्याय व्यवस्था पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का समापन

जोधपुर. विधि से संघर्षरत बच्चों को राजगापरक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वे देश की मुख्य धारा में जुड़ कर देश के सुयोग्य नागरिक बन सकें। यह विचार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायाधीश नवीन सिन्हा ने व्यक्त किए। वे किशोर न्याय व्यवस्था पर आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के समापन अवसर पर अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे थे।

न्यायाधीश सिन्हा ने कहा कि कई सम्प्रेषण गृहों से बच्चे अचानक भाग जाते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ कमी अवश्य है, जो बच्चों को सम्प्रेषण गृह छोड़ कर भागने के लिए विवश करती है। संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को बालकों के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील होना पड़ेगा। उन्हें माता की भूमिका निभानी पड़ेगी, तभी वे विधि से संघर्षरत बच्चों को देश की मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे। महिला व बाल विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुलदीप रांका, दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अनंतकुमार अस्थाना व यूनिसेफ के प्रतिनिधि संजयकुमार निराला ने भी विचार प्रस्तुत किए। कार्यशाला में चाइल्ड लाइन के जिला नोडल अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों, बाल कल्याण समिति के अध्यक्षों, स्वयंसेवी संगठनों व परिवीक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।

ज्ञानदान सर्वोपरि दान : जस्टिस दवे

विधिक शिविर में चेक देते सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस।

जोधपुर. संस्कृत में श्लोक का अर्थ है कि अन्नदान सर्वश्रेष्ठ है मगर ज्ञान का दान सर्वोपरि है। यह विचार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल आर दवे ने व्यक्त किए। वे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय सांगरिया में रविवार को आयोजित मेगा विधिक चेतना व जन कल्याणकारी शिविर में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे उदारमना व समाजसेवी लोग अभिवादन के योग्य हैं जो पीड़ितों व जरूरतमंदों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नवीन सिन्हा ने कहा कि जरूरतमंदों व पीड़ितों की सहायता करना उनको संबल देने के साथ ही आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी करता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश व राज्य विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जस्टिस अजय रस्तोगी ने बताया कि राज्य में अब तक 119 मेगा कैम्प से 50 लाख से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया गया है। जिला कलक्टर विष्णुचरण मल्लिक ने कहा कि विधिक सेवा की जागरूकता से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ विधवाओं, विकलांगों, श्रमिकों व जरूरतमंदों तक योजनाबद्ध रूप से पहुंच रहा है।

पत्रिका Mon, 01 August 2016
epaper.patrika.com/c/12591612

सुर्खियों से – राजश्री योजना –

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की बजट घोषणा 2016 – 17 के अनुसार शुभ लक्ष्मी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री राजश्री योजना कर दिया गया है। इसी के साथ ही इसमें दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाया गया है। बालिका जन्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राजश्री योजना जिला सहित पूरे प्रदेश में 1 जून बुधवार से लागू हो गयी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों तथा जेएसवाई (जननी सुरक्षा योजना) में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों पर बालिका के जन्म पर प्रथम किश्त के रूप में देय राशि 2500 रूपये तथा द्वितीय किश्त के रूप में देय राशि 2500 रूपये बालिका के एक वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद तथा पूर्ण टीकाकरण की शर्त पर मिलेगी। इसके बाद बालिका को स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश पर 4000 रूपये, छठी कक्षा में प्रवेश पर 5000 रूपये दसवीं कक्षा में प्रवेश पर 11000 रूपये तथा राजकीय विद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 25000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

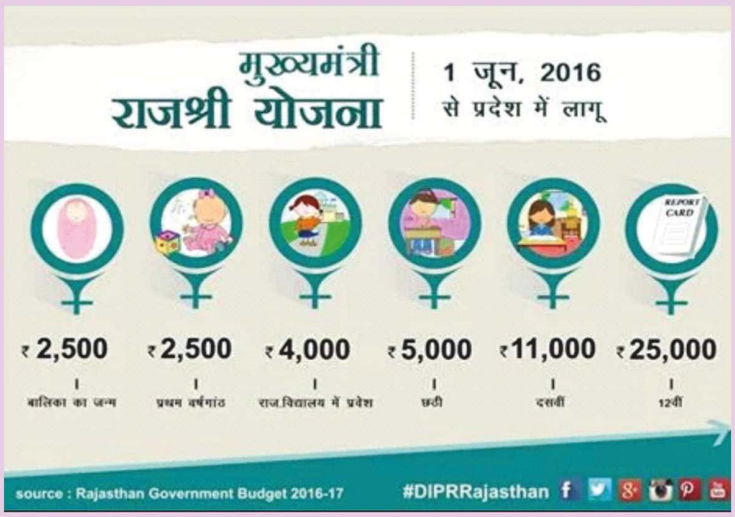

बाल संरक्षण में ऑनलाईन कोर्स के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईसेज में ओरिएंटेशन –

बाल संरक्षण में ऑनलाईन कोर्स प्रारम्भ करने के उद्देश्य से श्रद्धा पाण्डे, समन्वयक, सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, प्रवीण सिंह, कार्यक्रम प्रबन्धक – अकादमिक एवं पाठ्यक्रम विकास ने 8 – 10 मई 2016 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईसेज, मुम्बई में सेटर फॉर इक्विटी एण्ड जस्टिस फॉर फैमिली एण्ड चिल्ड्रेन, डिपार्टमेंट सोशल साईसेज का दौरा किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईसेज द्वारा जो ऑनलाईन कोर्सेज चलाये जा रहे हैं उनकी बारीकियों जैसे कि मूल भूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाईन कोर्स का प्रबन्धन, आवश्यक सोफ्टवेयर, तकनीकि प्रबन्धन, कोर्स फीस, परीक्षा का मापदण्ड इत्यादि का जायजा लिया और प्रोफेसर आशा वाजपेय, प्रोफेसर देवी सिंह के साथ ऑनलाईन कोर्स के सम्बन्ध में गहन चर्चा की और साथ ही उनसे सेंटर द्वारा चलाये जाने वाले कोर्सेज में अकादमिक सहयोग करने का निवेदन किया।

श्री अरूण चतुर्वेदी
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री

श्रीमती अनीता भदेल
महिला एवं बाल विकास मंत्री

श्री मनोज भट्ट
महा निदेशक राजस्थान पुलिस

डॉ. भूपेन्द्र सिंह अति महानिदेशक
उप कुलपति (पुलिस विश्वविद्यालय)

श्रीमती मनन चतुर्वेदी
अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान

Samuel Mawunganidze
State Chief in Rajasthan UNICEF

श्री संजय निराला
बाल संरक्षण अधिकारी, यूनिसेफ राजस्थान

श्री राजीव गुप्ता
प्रोफसर (रिटायर्ड) राजस्थान विश्वविद्यालय

बाल संरक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स के संदर्भ में पुलिस मुख्यालय में प्रीलाँच ईवेन्ट का आयोजन

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय को सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से बाल सरंक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स की शुरूआत की गयी। इस कोर्स की अधिक जानकारी वेबसाईट http://centreforchildprotection.org एवं http://www.policeuniversity.ac.in पर

इस न्यूज लेटर का उद्देश्य पाठकों को बच्चों के अधिकारों से संबंधित पुलिस, सरकार, एवं अन्य लोगों, संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराना है। इस न्यूजलेटर हेतु पाठकों के सुझाव, अनुभव, लेख सादर आमंत्रित है।

E-mail : ccp@policeuniversity.ac.in

न्यूज लेटर लेखन एवं संपादन :

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन

सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, राजस्थान

संपादकीय टीम :- डॉ भूपेन्द्र सिंह, संजय कुमार निराला, श्रद्धा पाण्डे, डॉ विजेन्द्र सिंह , प्रवीण सिंह।